

न्यायालय : श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, म०प्र०

निगरानी प्र०क्र०/

/012



R-1413-I/12



शत्रुघ्न सिंह तनय श्री त्रिलोक सिंह उम्र-72 वर्ष पेशा-कृषि निवासी ग्राम लोहदा, थाना गढवा तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली, म०प्र०.

-----निगरानीकर्ता.

बनाम्

- 01- विष्णु वहादुर सिंह
- 02- अमर वहादुर सिंह
- 03- अरुण कुमार सिंह
- 04- अनुज प्रताप सिंह
- 05- श्रीमती सूरत कुमारी पत्नी श्री हीरा सिंह चंदेल

सभी निवासी ग्राम लोहदा, थाना गढवा तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली, म०प्र०.

06- म०प्र० शासन

----- गैर निगरानीकर्ता.

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्तराीवा संभाग राीवा, आदेश दिनांक 20.03.12 जो प्र०क्र० 310/अपील/09 "10 मे पारित किया जाकर आवेदक की अपील निरस्त की गई ।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं० 1959ई० ।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

1011

यह कि निर्णय व आदेश अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत

शासुधन सिधं। विष्णु वहाड सिधं

4

R. 1413-J/12 रसिगरनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
<p>5-8-13.</p> <p>(21)</p>	<p>1- आवेदक तथा उनके अभिभाषक को पुनः नोडिफिकेशन जारी है।</p> <p>2- वास्ते कापसी पर तर्क पेशी तारीख 6-10-15</p> <p>आदेश</p>	<p>नोडिफिकेशन</p>
<p>6-10-15</p> <p>6</p>	<p>- आवेदक को जारी सूचना-पत्र वापस प्राप्त नहीं; सूचना वापसी का इंतजार किया जाय।</p> <p>- वास्ते कापसी पर तर्क।</p> <p><u>C.F. 19-1-16</u></p> <p>आदेश,</p> <p>सिध</p>	
<p>19-1-16</p> <p>M ✓</p>	<p>1- प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>2. आवेदक तथा उनके अभिभाषक की प्रदीप विपारी की प्रकाश करायी गयी किन्तु सूचना उपरत लगाता नो पेशियों से उपायित नहीं हो रहे हैं। चार्ज आवेदक सूचना उपरत लगाता नो पेशियों से उपायित नहीं हो रहे हैं। अतः संविधान की धारा 35(2) के तहत प्रकाश अदम पेशी में खारिज किया जाय है।</p> <p>3- आदेश की प्रती अधी. भाषा को भेजी जाये तथा प्रकाश पत्र से लगातार संचालन हो।</p> <p>सदस्य</p>	